[illegible]

4/2/26	पत्रा. पेश हुई कु० उक्त दावा वादिनी स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर सतें खिलाफ सुनाया गया। पत्रा. फैसल शुमार हो, नंबर से खारिज दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी हु...

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस
मु0 उन0 केशवी बनाम जलसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 32/2015

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 320 रकबा 0.06, 347 रकबा 0.04, 351 रकबा 0.32, 369 रकबा 0.11, 827 रकबा 0.04, 831 रकबा 0.22, 856 रकबा 0.07, 903 रकबा 0.15, 1067 रकबा 0.25, 1922 रकबा 0.22, 1927 रकबा 0.15, 2174 रकबा 0.14, 2274 रकबा 0.24, 2362 रकबा 0.20, 3289 रकबा 0.13, 3294 रकबा 0.08 किता 16 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई एवं खसरा नंबर 1170 रकबा 0.28 व 1215 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई में स्थित है, पर वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। |बिज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

द दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04/02/26 को जारी की गई ।

दस्तखत [signature]
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

1. केशवी दत्तक पुत्री जलसिंह जाति जाट निवासी खांगरी तहसील
वादमित्र श्री राकेश फौजदार पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी
सारस चौराहा भरतपुर जिला भरतपुर।

बनाम

1. जलसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. सब रजिस्ट्रार नदबई।
3. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
4. शाखा प्रबंधक एसबीआई नदबई।
5. अमरसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. मानसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. ओमवती बेवा भगवान सिंह जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—असल प्रतिवादीगण

— तरतीवी प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 32/2015
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2015/00062
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :–04.02.2026

1. केशवी दत्तक पुत्री जलसिंह जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई वादमित्र श्री राकेश फौजदार पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी रोजविला सारस चौराहा भरतपुर जिला भरतपुर।

वादिनी

बनाम

1. जलसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. सब रजिस्ट्रार नदबई।
3. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
4. शाखा प्रबंधक एसबीआई नदबई।

प्रतिवादीगण –असल

5. अमरसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. मानसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. ओमवती बेवा भगवान सिंह जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

– तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थितः–श्री फूलसिह एड. (वादिनी की ओर से)
श्री लक्ष्मण सिंह एड. (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सारगर्भित व संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

1. यह कि वादिनी, प्रतिवादी संख्या 1 की दत्तक पुत्री है जिसे दिनांक 24.05.2013 को प्रतिवादी ने विधिवत रूप से हिन्दू रिवाज व रस्मों की पूर्ति करते हुए दत्तक ग्रहण किया है। उसके जन्मदाता मां बाप से Giving and taking करते हुए गोद में बिठाकर नारियल बतासे आदि बांटकर रस्म गोद करते हुए गोद लिया गया है और उसकी विधिवत पालना में दिनांक 24.05.2013 को पंजीकृत गोदनामा भी करवाया गया है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

2. यह कि वादिनी से अब उसका दत्तक पिता प्रतिवादी प्यार नहीं करता है और बिना वजह घृणा करता है उसका पालन पोषण भी नहीं करता है। उसकी पढाई लिखाई का खर्चा भी नहीं करता है इसलिए वादिनी अपने नाना नानी के पास भरतपुर में रह रही है और उन्हीं की देखरेख में परिवरिश पा रही है इसलिए यह वाद उसकी ओर से उसके नाना को वादमित्र बनाकर पेश किया गया है। उसके नाना का हित उसके विपरीत नहीं है।

3. यह कि आराजी खसरा नंबर 320 रकबा 0.06, 347 रकबा 0.04, 351 रकबा 0.32, 369 रकबा 0.11, 827 रकबा 0.04, 831 रकबा 0.22, 856 रकबा 0.07, 903 रकबा 0.15, 1067 रकबा 0.25, 1922 रकबा 0.22, 1927 रकबा 0.15, 2174 रकबा 0.14, 2274 रकबा 0.24, 2362 रकबा 0.20, 3289 रकबा 0.13, 3294 रकबा 0.08 किता 16 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई में स्थित है। जिसके प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 9/32 के खातेदार काश्तकार हैं क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 व वादिनी की दादा बसन्ती का देहान्त हो चुका है। उक्त आराजी वादिनी की पैतृक आराजी है जो वादिनी के बाबा जोरमल से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी की आय में से हाल खसरा नंबर 1170 रकबा 0.28 व 1215 रकबा 0.31 किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 ने मूला पुत्र बसन्ता, चरन वगै0 पिसरान पदम से जरिए रजि0 सेलडीड खरीद किया है जो भी पैतृक आराजी की परिभाषा में आती है क्योंकि प्रतिवादी की आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। लिहाजा वाद वादिनी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही वाहिस्सा बराबर का खातेदारी हासिल हैं लिहाजा वादिनी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तथा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जाए।

4. यह कि राजस्व अभिलेख में खातेदारी के इन्द्राजात समस्त हिस्सा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे हैं जो कि कर्ता खानदान होने की वजह से गलत है। गलत इन्द्राजात खातेदारी का प्रतिवादी अब नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं और आराजी का हस्तांतरण करना चाहते हैं, वादिनी को उसके 1/2 हिस्से से वंचित करना चाहते हैं इसलिए वदी वजह दिनांक 05.05.2015 को प्रतिवादी ने वादिनी के वादमित्र को यह खुली धमकी दी है कि विवादित आराजी में कोई हिस्सा वादिनी का नहीं बनता है व समस्त आराजी का अपनी मर्जी के मुताबिक उपयोग व उपभोग करेगा। प्रतिवादी की इस इंकारी व गलत इन्द्राज खातेदारी से वादिनी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसलिए वादिनी न्यायालय से यह घोषणा कराने की अधिकारी है कि विवादित आराजी वादपत्र की 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार काबिज है। समस्त आराजी पर इन्द्राज खातेदारी कतई गलत है जो निरस्तनीय है।

5. अंत में प्रार्थना की कि विवादित आराजी पर वादिनी व प्रतिवादी सम्भाग प्रत्येक खातेदार काबिज है। प्रतिवादी के अकेले के नाम इन्द्राज खातेदारी समस्त आराजी पर गलत है व निरस्तनीय है, वादिनी 1/2 हिस्से आराजी पर इन्द्राज खातेदारी दर्ज करा पाने की अधिकारी है। तथा प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने की अधिकारी है कि वादिनी को उसके 1/2 हिस्से से जबरन बेदखल नहीं करे, कब्जेकाश्त में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करें और न ही आराजी का हस्तांतरण करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह एड़वोकेट उपस्थित

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

हुए शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि वादपत्र की मद संख्या 1 गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिनी को दिनांक 24.05.2013 को या अन्य किसी तिथि को कभी भी गोद नहीं लिया। वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 की दत्तक पुत्री नहीं है। दत्तक ग्रहण की कोई भी रस्म हिन्दू रीति रिवाजों के मुताबिक कहीं पर भी सम्पन्न नहीं हुई। प्रतिवादी संख्या 1 ने न तो वादिनी केशवी को गोद लिया और न ही उसके पिता रामवीर सिंह व रूचि ने गोद ही दिया। तथा नारियल व बतासे भी नहीं बांटे गए। प्रतिवादी संख्या 1 कम पढा लिखा व्यक्ति है जिसका नाजायज लाभ उठाकर वादिनी के पिता व माता ने अपने ससुर व पिता राकेश फौजदार पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी रोजविला सारस चौराहा भरतपुर से साज कर साजिश कर फर्जी व अवैधानिक गोदनामा तहरीर कराके प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कृषि कार्य बढवाने की फाईल लगाने व कुछ नंबरों को कृषि कार्य की फाईल में जुडवाने के बहाने प्रतिवादी संख्या 1 की गैर जानकारी में दिनांक 24.05.2013 को गोदनामा सब रजिस्ट्रार नदबई के यहां तस्दीक करा दिया जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 को दावा उनवानी केशवी बनाम जलसिंह में भेजे गए सम्मनों पर हाजिर होने व वकील से जानकारी होने पर पूर्ण जानकारी हुई। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिनी को गोद लेने बाबत् कोई गोदनामा पंजीकृत नहीं कराया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिनी को गोद लेने बाबत् पंजीकृत नहीं है। राकेश व वादिनी के पिता रामवीर सिंह व माता रूचि ने फर्जी तरीके से गोदनामा तहरीर कराया है। वादिनी केशवी के पिता रामवीर व माता रूचि व रूचि के पिता राकेश ने प्रतिवादी संख्या 1 की गैरजानकारी में रूचि के दो संतान पहले से होने व उसके गर्भवती होने व तीन संतान होने की संभावना से उक्त रूचि के जिला समन्वय संपूर्ण सुरक्षा अभियान कलेक्ट्रेट भरतपुर में सरकारी सेवा में सेवारत होने व उसके नौकरी से हटाए जाने के डर से व नौकरी बचाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे की आराजी को हडपने के लिए फर्जी तरीके से गोदनामा वादिनी के उक्त माता पिता व नाना राकेश द्वारा तहरीर व तस्दीक दिनांक 24.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 की जानकारी में कराया है। उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई से निरस्त कराने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दावा पेश किया जा रहा है। जबकि ग्राम खांगरी या अन्य गोद की रस्म नहीं हुई। वादिनी व उसकी माता रूचि भरतपुर में रहती है तथा सन् 2010 से आज तक ग्राम खांगरी नहीं गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिनी को गोद नहीं लिया।
2. यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी का दत्तक पिता नहीं है। वादिनी अपनी माता रूचि के साथ रोजविला सारस चौराहा में निवासरत है। वादिनी की माता रूचि सरकारी नौकरी में है व उसका पालन पोषण भी वही कर रही है। वादिनी के नाना राकेश फौजदार ने गलत तथ्यों के आधार पर वादमित्र बनकर दावा पेश किया है। और न ही वादमित्र हेतु कोई अनुमति अदालत श्रीमान से ली गई।
3. यह कि वादपत्र चरण संख्या 3 के मुताबिक विवादित आराजी वाके ग्राम खांगरी होने व प्रतिवादी संख्या 1 के 9/32 हिस्से पर खातेदार काश्तकार होने व प्रतिवादी संख्या 1 की माता बसन्ती का देहान्त होने के अतिरिक्त अन्य कथन गलत व अस्वीकार है। उक्त विवादित आराजीयात वादिनी की पैतृक आराजी नहीं है। और न

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

ही प्रतिवादी संख्या 1 की दत्तक पुत्री है। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत से व रिलीज डीड से अपनी वहिनों व भांजे मुकेश से आई है। वादिनी दावा करने की अधिकारी नहीं है। हाल खसरा नंवर 1170, 1215 वाके खांगरी को प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी की आय से नहीं खरीदा वल्कि मेहनत मजदूरी करके व रकम एकत्रित करके खरीद किया था। खसरा नंवर 1170 के साविक खसरा नंबर 931 को प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 11.06.81 को चरन, तेजी वगै0 निवासी खांगरी से प्रतिफल देकर व खसरा नंवर 1215 साविक खसरा नंवर 968 को प्रतिवादी संख्या 1 ने 18.06.90 को प्रतिफल राशि देकर जोरमल साकिन खांगरी से खरीद किया था। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी है व पैतृक नहीं है। अतः वादिनी का उक्त प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है और न ही वादिनी स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादिनी व उसके वादमित्र को कभी किसी तिथि को कोई धमकी नहीं दी गई। लिहाजा वादिनी का वादपत्र काबिल खारिजी के है।

यह है कि वादिनी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जबाब दावा के अभिवचनो के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई। जो इस प्रकार है–

1. आया वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 की दत्तक पुत्री है जिसे दिनांक 24.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 ने विधिवत रूप से हिन्दू रस्मों अनुसार ग्रहण किया है? –जिम्मेवादिनी
2. आया विवादित आराजी वादपत्र मद संख्या 3 वाके ग्राम खांगरी आराजी पैतृक है जो कि वादिनी के बाबा जोरमल से प्राप्त हुई है? –जिम्मेवादिनी
3. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 1170, 1215 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 ने मूला पुत्र बसन्ता वगै0 पुत्र पदम से जरिए सेलडीड खरीद किया जो पैतृक आराजी की परिभाषा में आती है लिहाजा वाद वादिनी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही वाहिस्सा बराबर का अधिकार खातेदारी हासिल है। लिहाजा वादिनी उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात कलमजन किया जाए? –जिम्मेवादिनी
4. आया वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी का दत्तक पिता नहीं है। वादिनी जन्म से ही अपनी माता रूचि के साथ रहती है जो कि सरकारी नौकरी करती है? –जिम्मेप्रतिवादी
5. आया विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन व रिलीड डीड से अपनी बहिनों व भांजे मुकेश से आई है? –जिम्मेप्रतिवादी
6. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 1170, 1215 स्वअर्जित आराजी है जो उचित प्रतिफल देकर क्रय की गई थी। उक्त आराजी में वादिनी का हिस्सा नहीं बनता है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है? –जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 वाके खांगरी प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके खांगरी प्रदर्श 2, नकल वाके खांगरी प्रदर्श 3, 4, नकल असल फोटोप्रति गोदनामा दिनांक 24.05.2013 प्रदर्श 5,

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम खांगरी प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी संवत 2060 प्रदर्श 7, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके खांगरी प्रदर्श 8 व 9, नकल निर्णय मुकदमा उनवानी संख्या 22/2016 उनवान जलसिंह बनाम केशवी वगै0 निर्णय दिनांक 17.07.19 माननीय सिविल न्यायाधीश नदबई प्रदर्श 1 व डिक्री प्रदर्श 2 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में राकेश फौजदार पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी रोजविला सारस चौराहा , भरतपुर वादमित्र वादिनी केशवी नाबालिग दत्तक पुत्री जलसिंह जाति जाट निवासी खांगरी पेश किए गए। जिनसे जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया । मौखिक साक्ष्य के रूप में जलसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी खांगरी, सोहनसिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी खांगरी, शिवसिंह पुत्र रंजीता जाति जाट निवासी खांगरी, मानसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी खांगरी के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तदुपरान्त तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. आया वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 की दत्तक पुत्री है जिसे दिनांक 24.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 ने विधिवत रूप से हिन्दू रस्मों अनुसार ग्रहण किया है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी का था। वादिनी द्वारा प्रस्तुत नकल पंजीकृत गोदनामा दिनांक 24.05.2013 प्रदर्श 5 पेश किया गया जिससे यह बखूबी साबित है कि वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा विधिक प्रक्रियानुसार विधिवत रूप से हिन्दू रस्मों अनुसार ग्रहण किया है। चूंकि उक्त गोदनामा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसकी सत्यता एवं विश्वसनीयता संदेह से परे है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा फर्जी एवं दिखावटी हो। अतः उक्त तनकी वादिनी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।
2. आया विवादित आराजी वादपत्र मद संख्या 3 वाके ग्राम खांगरी आराजी पैतृक है जो कि वादिनी के बाबा जोरमल से प्राप्त हुई है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादिनी का था। वादिनी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2060 प्रदर्श 7 व नकल जमाबंदी संवत भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके खांगरी प्रदर्श 8 पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जोरमल नन्दलाल कौम जाट साकिन देह का नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा हाल जमाबंदी संवत 2070–73 वाके खांगरी प्रदर्श 3 व 4 में जलसिंह पुत्र जोरमल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। हाल एवं गत खसरा नंबरान का नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके खांगरी प्रदर्श 2 से मिलान हो रहा है। उक्त विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के फौत होने के उपरान्त विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है अतः उक्त विवादित आराजी वादिनी के बाबा जोरमल से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आई है जो कि पैतृक आराजीयात है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे साबित होता हो

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

कि उक्त पैतृक न होकर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी हो। अतः उक्त तनकी वादिनी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 1170, 1215 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 ने मूला पुत्र बसन्ता वगै0 पुत्र पदम से जरिए सेलडीड खरीद किया जो पैतृक आराजी की परिभाषा में आती है लिहाजा वाद वादिनी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही वाहिस्सा बराबर का अधिकार खातेदारी हासिल है। लिहाजा वादिनी उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात कलमजन किया जाए। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा नंबर 1170 व 1215 के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि उक्त खसरा नंबरान प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा क्रय किए गए हों। चूंकि उक्त खसरा नंबरान भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पैतृक आराजी की श्रेणी में शामिल है। लिहाजा वादिनी स्वयं को उक्त खसरा नंबरान पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादिनी के हक में तय की जाती है।

4. आया वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी का दत्तक पिता नहीं है। वादिनी जन्म से ही अपनी माता रूचि के साथ रहती है जो कि सरकारी नौकरी करती है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 24.05.2013 को निरस्त किए जाने बाबत् उनवानी दावा मु0उ0 जलसिंह बनाम केशवी वगै0 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई में पेश किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी का दावा खारिज किया गया जो कि प्रदर्श 1 व 2 से बखूबी साबित है। अत वादिनी रजिस्टर्ड गोदनाम दिनांक 24.05.2013 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की दत्तक पुत्री है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी का दत्तक पिता है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध व वादिनी के हक में तय की जाती है।

5. आया विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन व रिलीड डीड से अपनी बहिनों व भांजे मुकेश से आई है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को बहिनों व भांजे मुकेश से जरिए रिलीज डीड आई हो। चूंकि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जो कि विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

6. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 1170, 1215 स्वअर्जित आराजी है जो उचित प्रतिफल देकर क्रय की गई थी। उक्त आराजी में वादिनी का हिस्सा नहीं बनता है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए वयनामा उचित प्रतिफल देकर क्रय की गई हो। अतः उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादिनी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः उक्त तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्ध व वादिनी के हक में तय की जाती है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर विवादित आराजी हाल रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है परन्तु उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी होने एवं वादिनी के प्रतिवादी संख्या 1 की दत्तक पुत्री होने के कारण वादिनी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वाहिस्सा बराबर की खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है। लिहाजा वाद वादिनी काबिल स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः विवादित आराजी खसरा नंबर 320 रकबा 0.06, 347 रकबा 0.04, 351 रकबा 0.32, 369 रकबा 0.11, 827 रकबा 0.04, 831 रकबा 0.22, 856 रकबा 0.07, 903 रकबा 0.15, 1067 रकबा 0.25, 1922 रकबा 0.22, 1927 रकबा 0.15, 2174 रकबा 0.14, 2274 रकबा 0.24, 2362 रकबा 0.20, 3289 रकबा 0.13, 3294 रकबा 0.08 किता 16 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई एवं खसरा नंबर 1170 रकबा 0.28 व 1215 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई में स्थित है, पर वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/02/26 को लिख जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली केसेलशुमार हो नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सचिन यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर